राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

क्रमांकः–एफ1(4)संस्था–4/सीएस/एसओएम/2024 6332 दिनांक 09/7/2024

कार्यालय–आदेश

राजकीय कार्यों के सूचारू सम्पादन के संबंध में मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित सीनियर ऑफिसर मिटिंग (SOM) के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 01.07.2024 (संलग्न) में समुचित निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुसरण में मुख्यालय जयपुर, समस्त क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं उनमें पदस्थापित शाखाओं के प्रभारी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे बैठक कार्यवाही विवरण के निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांकः–एफ1(4)संस्था–4/सीएस/एसओएम/2024 6333-56 दिनांक 09/7/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक महोदय, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक महोदय, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर
3. निजी सहायक ग्रेड–I, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/लेखा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/लेखा), क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, एच.सी.एम. रीपा, उदयपुर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर
5. समस्त प्रभारी अधिकारीगण (शाखा/अनुभाग), मुख्यालय जयपुर
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे उक्त आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by Shaheen Ali Khan
Designation : Additional Director
Date: 2024.07.08 18:19:38 IST
Reason: Approved
Ref 8734558

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

प.8(2)प्रसु/सम/अनु–1/2024 जयपुर, दिनांक

बैठक कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2024 को प्रातः 10:00 बजे से कॉन्फ्रेंस हॉल, शासन सचिवालय में सीनियर ऑफिसर मीटिंग (SOM) का आयोजन किया गया। बैठक में अति0 मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवगण उपस्थित हुए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. आगामी विधानसभा सत्र हेतु उठाये जा सकने वाले संभावित प्रश्नों यथा बिजली, पानी, हीट वेव, स्वास्थ्य इत्यादि विषयों की तैयारी संबंधित विभाग द्वारा यथा समय कर ली जावें, इस हेतु विभागीय मंत्रीगण से वार्ता कर समय रहते स्थिति स्पष्ट कर देवें जिससे सत्र के दौरान सदन में सरकार का सकारात्मक पक्ष रखा जा सकेगा।
2. सभी विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए राज्य सरकार एवं आमजन के साझा दृष्टिकोण के अनुरूप राजकार्य को गति देवे तथा विभिन्न विभागों के मध्य अनुमोदन/निर्णय संबंधी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विवाद की स्थिति में, आवश्यक होने पर मुख्य सचिव कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से यथासमय परामर्श कर लेवें।
3. सभी अधिकारीगण सरल, निष्पक्ष, संवेदनशील एवं परस्पर सहयोगपूर्ण आचरण शैली अपनावें।
4. मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त, अभियोजन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए तहत जांच हेतु पूर्व अनुमोदन इत्यादि के प्रकरणों का समयबद्ध नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सभी विभागों के नियमित औचक निरीक्षण की व्यवस्था का सुदृढीकरण किया जावे। साथ ही सभी विभागीय प्रशासनिक सचिवगण अपने अधीनस्थ कार्यालयों का साप्ताहिक औचक निरीक्षण करें। (**अपेक्षित कार्यवाही**– प्रशासनिक सुधार विभाग)
6. लंबित विधानसभा प्रश्नों, आश्वासनों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा विशेष उल्लेख प्रस्तावों के जबाव अतिशीघ्र विधानसभा सचिवालय को भिजवाया जावें। विशेषतः 16वीं विधान सभा के प्रथम एवं द्वितीय सत्र के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित कर लिया जावें।
7. जल संरक्षण/जल संचयन कार्यो की प्रगति के संबंध में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आगामी बैठक में नगरीय विकास, स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सार्वजनिक निर्माण, कृषि एवं उद्यानिकी, उद्योग विभाग आदि से समन्वय स्थापित कर अब तक की गई कार्यवाही एवं भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाकर

कार्यालय का पताः कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
ई मेल– ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट– www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385

Signature valid
Digitally signed by Arun Prakash Sharma
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.07.01 15:31:00 IST
Reason: Approved

उक्त विभागों की 1–1 स्लाइड सम्मिलित करते हुए प्रस्तुतीकरण किया जावें। (**अपेक्षित कार्यवाही**– पी.एच.ई.डी)

8. राज्य में भू–जल उपयोग के संबंध में केबिनेट नोट/विधेयक का प्रारूप शीघ्र तैयार करवाया जाकर मंत्री महोदय से अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत किया जावे।
9. जल स्रोतों/जलापूर्ति लाइन्स् में वर्षा जल के साथ सीवरेज, नालियों इत्यादि के दूषित जल के रिसाव/मिश्रण की संभावना के मध्यनजर मानसून पूर्व ही आवश्यक कदम उठाये जावे, ताकि दूषित जल से उत्पन्न एवं मौसमी बिमारियों के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।
10. सभी विभाग भर्ती प्रकिया को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु विभिन्न पदो पर अर्थना भर्ती एजेंसीज् को यथासमय प्रेषित करें।
11. सभी विभाग भर्ती प्रकिया से संबंधित सूचना साप्ताहिक एवं समीक्षा बैठक से 3 दिवस पूर्व सीएमआइएस पॉर्टल पर अद्यतन/दर्ज करें, जिससे भर्ती प्रकिया की वास्तविक प्रगति की समीक्षा की जा सकेगी।
12. विभागीय पदोन्नति बैठक की सूचना प्रेषित किये जाने से शेष रहे विभाग DPC (DOP) पॉर्टल के माध्यम से अद्यतन सूचना नियमित रूप से अपडेट करें।
13. **iGOT कर्मयोगी** के संबंध में जिन विभागों ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, ऐसे समस्त विभाग अतिशीघ्र विभागीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें तथा अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों के अधिकाधिक कार्मिकों के पंजीकरण एवं प्रशिक्षण किये जाने हेतु प्रोत्साहित करें।
14. जिला प्रभारी सचिवगण द्वारा संबंधित जिले में नियमित रूप से दौरे/रात्रि विश्राम एवं कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जावे।
15. 02 जुलाई को आयोजित होने वाली केबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के स्तर पर प्रस्तावित एजेण्डा/केबिनेट नोट की कार्यवाही को प्रकिया का पालन करते हुए शीघ्र अंतिम रूप प्रदान किया जावें।
16. सभी विभागों द्वारा इस त्रैमास की ऑडिट कमेटी की बैठक यथासंभव इसी माह अथवा जुलाई प्रथम सप्ताह तक आयोजित कर ली जावे।
17. प्री–लिटिगेशन कमेटी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जावे।
18. मुख्य सचिव महोदय द्वारा अधिकारीगण से संबंधित विभागों में जन सेवाओं की सुगम एवं त्वरित प्रदायगी से संबंधित पहल/नवाचारों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा लोक व्यवहार एवं कार्यप्रणाली से जुड़े विषयों पर अधिक से अधिक सार्थक नवाचार किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यालय का पता: कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
ई मेल– ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट– www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385660

Signature valid
Digitally signed by Arun Prakash Sharma
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.07.01 …:31:00 IST
Reason: Approved

उक्त कम में अधिकारीगण द्वारा पहल/नवाचारों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया–

1. **श्री वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग–**
    - कृषकों हेतु विभिन्न राजकीय योजनाओं में पात्रता एवं आवेदन के स्टेट्स की जानकारी प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध किये जाने हेतु ऑनलाइन चैट बॉट विकसित किया जा रहा है।
2. **श्री देबाशीष पृष्टि, शासन सचिव, बजट–**
    - RGHS में दवाओं की डोर–स्टेप डिलिवरी हेतु एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डिजाइन किया जा रहा है जिससे दवाओं की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा RGHS के संबंध में कठिनाईयों को दुरूस्त करने के मध्यनजर और अधिक एक्सरसाइज कर अधिकाधिक सुगम एवं उपादेय बनाने हेतु प्रयास किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
3. **श्री के. के. पाठक, शासन सचिव, वित्त–**
    - टेक्सेशन संबंधी मामलों में पारदर्शिता के दृष्टिगत एसीटीओ/सीटीओ के निरीक्षण क्षेत्रों का निर्धारण ऑनलाइन रेण्डमाइजेशन प्रकिया द्वारा किया जा रहा है, जिससे एसीटीओ/सीटीओ द्वारा अपने क्षेत्रों में निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा।
4. **श्री वी सरवन कुमार, शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग–**
    - विभाग द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउण्डेशन के साथ एमओयू किया गया है जिससे ग्रास रूट पर इनोवेशन करने वालों का पेटेंट करवाया जा सकेगा।
5. **श्री नरेश कुमार ठकराल, शासन सचिव वित्त विभाग–**
    - SIPF ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा कार्मिक अपनी एसआई एवं जीपीएफ कटौतियों व अन्य विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा जीपीएफ/एसआई ऋण हेतु आवेदन इत्यादि सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
6. **श्री रवि शर्मा, शासन सचिव गृह (कानून) विभाग–**
    - पुलिस थानों में रखे जब्त वाहनों के नियमानुसार निस्तारण में गति लाई गई है।
    - वीसी के माध्यम से सरकारी गवाहों/अधिकारियों के न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुति के द्वारा लंबित प्रकरणों के निस्तारण में गति आई है।

कार्यालय का पताः कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
ई मेल– ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट– www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385660

Signature valid
Digitally signed by Arun Prakash Sharma
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.07.01 15:31:00 IST
Reason: Approved

7. **श्रीमती अल्पा चौधरी, निदेशक, मत्स्य विभाग–**

- मत्स्य विभाग द्वारा जलाशयों में फिशिंग हेतु ठेकेदारों को पूर्व में ऑफलाइन अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते थे। अब त्वरित एवं पारदर्शितापूर्ण कार्यवाही के दृष्टिगत ऑनलाइन पद्वति से अनुज्ञा पत्र जारी किये जा रहे है।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अरूण प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय का पता: कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
ई मेल– ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट– www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385660

Signature valid
Digitally signed by Arun Prakash Sharma
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.07.01 15:31:00 IST
Reason: Approved